न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - श्री सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

अनवान -

1- रजनीश उम्र 12 वर्ष
2- सुभाष उम्र 9 वर्ष
पुत्रगण जगदीश नाबालिगान जरिये कुदरती वली माता मन्जु पत्नी जगदीश निवासी 13 ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)

.....प्रार्थीगण.....

बनाम-

1- जगदीश पुत्र श्री सुण्डाराम निवासी 13 ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
2- गिरधारी पुत्र श्री सुण्डाराम निवासी 13 ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
3- बृजलाल पुत्र श्री सुण्डाराम निवासी 13 ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला 02 अनूपगढ़ (राज.)
4- मंगतु देवी पुत्री श्री सुण्डाराम निवासी 13 ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
5- सावित्री पुत्री श्री सुण्डाराम निवासी 13 ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
6- सोनवीर पुत्र श्री सुण्डाराम निवासी 13 ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
7- कलावती पत्नी श्री सुण्डाराम निवासी 13 ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
8- कर्मजीत कौर पुत्री मुखत्यार सिंह निवासी 13 ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर, जिला अनूपगढ़ (राज.)
9- कुलदीप सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह निवासी 13 ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
10- गुरमीत सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह निवासी 13 ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
11- मलकीत राम पुत्र मुखत्यार सिंह निवासी 13 ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला. अनूपगढ़ (राज.)
12- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर ।

.....अप्रार्थीगण.....

उपस्थिति - 1. श्री शेरा राम वकील प्रार्थी
2. श्री ओम धायल वकील अप्रार्थीगण
2. पैराकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 27/2024 निर्णय दिनांक -29/08/2024

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

लगातार ....(2)

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

1- यह कि उक्त अनवान का वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है जिसके सफल होने की पूरी सम्भावना है। जिसका यह एक भाग समझा जाकर साथ पढ़ा जावे ।

2- यह कि वाके चक 13 ए.पी.डी. (बी) का खाता संख्या 10 प.नं. 251/401 मु.नं. 8 के किला नं. 9, 21 ता 25 का 1.518 है. भूमि के मुश्तरका खाता में अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 प्रत्येक का 217/1581 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 7 का 15/253 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 8 ता 11 प्रत्येक का 1/24 हिस्सा खातेदारी रकबा है एवं इसी चक के खाता संख्या 4 प.नं. 251/401 मु.नं. 8 का किला नं. 16 ता 19, 20/1 का 1.075 है. भूमि अप्रार्थी संख्या 7 कलावती के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबन्दी प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पत्र है।

3- यह कि उक्त पैरा संख्या 2 में वर्णित खाता संख्या 10 की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 को अपने पिता/पति सुण्डाराम के देहान्त के उपरान्त विरासतन प्राप्त हुई है इसलिए जद्दी जायदाद की श्रेणी में आती है एवं खाता संख्या 4 की भूमि अप्रार्थी संख्या 7 के नाम पारिवारिक सहमति से करवायी गई है। यह उक्त भूमि भी अप्रार्थी संख्या 7 को अपने पति सुण्डाराम से ही प्राप्त हुई है जो स्वयं अर्जित सम्पति नहीं है एवं जद्दी जायदाद है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के नाम से दर्ज समस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद की श्रेणी में आती है। अप्रार्थी संख्या 1 हम प्रार्थीगण का पिता है। इसलिए प्रार्थीगण का उक्त भूमि में जन्म से ही एक व हिस्सा निहित हैं। चूंकि प्रार्थीगण अभी नाबालिग है इसलिए वाद पत्र जरिये कुदरती वली माता के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।

4- यह कि चूंकि हम प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 की जायज सन्ताने है इसलिए प्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज उक्त भूमि 1.518 में 217/1518 हिस्सा भूमि में हम प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/3 हिस्सा दोनों पर कुल 2/3 हिस्सा एवं प्रार्थी संख्या 7 के नाम दर्ज 1.075 हैक्टर में 1/6 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा बनता है। जिसके प्रार्थीगण स्वयं को खातेदार टेनेन्ट जरिये वाद घोषित करवा पाने के विधिक अधिकारी है।

5- यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 जो कि शराबी एवं नशेड़ी किस्म का व्यक्ति है जो अपने नाम से दर्ज उक्त भूमि को विक्रय कर हम प्रार्थीगण को हमारे हक हिस्सा से वंचित करना चाहता है तथा अप्रार्थी संख्या 7 जो कि प्रार्थीगण की दादी है जो भी अन्य अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के दवाब प्रभाव में है और जो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के प्रभाव में आकर अपने नाम से दर्ज उक्त भूमि को विक्रय करना चाहती है एव हम प्रार्थीगण को हमारे हक हिस्सा से वंचित करने का प्रयास कर रहे है। तथा हम प्रार्थीगण को हमारी उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रवेश करने से भी रोक दिया है। जबकि हम प्रार्थीगण के पास आय का काई साधन नही है। उक्त कृषि भूमि से प्राप्त आय पर ही पूर्णतया निर्भर है। अव अप्रार्थीगण संख्या 01 व 7 के द्वारा हम प्रार्थीगण को लगातार यह धमकी दी जा रही है कि वह जल्द ही उक्त भूमि को किसी अन्य को रहन वैय विक्रय कर देगा एव हम प्रार्थीगण को हमारे हक व हिस्सा से महरूम कर देगे।

6- यह है कि हम प्रार्थीगण एवं हमारी माता के द्वारा अनेक अवसरों पर अप्रार्थी संख्या 1 व 7 को उक्त भूमि में हम प्रार्थीगण को हमारे हिस्से का बंटवारा

लगातार ....(3)

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

कर राजस्व रिकार्ड में हम प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवाने बाबत् कहा जाता रहा है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 7 के द्वारा टाल मटोल की जाती रही। अब आज से करीब 10 रोज पूर्व मौतबीरान व्यक्तियो को साथ लेकर दबाव देकर जद्दी जायदाद में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में से हम प्रार्थीगण के विरास्तन 2/3 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 7 के नाम से दर्ज भूमि में 1/6 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा को हम प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवाने एवं किला वाईज विभाजन करवाने में सहयोग करने बाबत कहा तो अप्रार्थीगण ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया व एलानिया धमकी दी कि वह उक्त दर्ज भूमि को बिना विधिक विभाजन करवाये प्रार्थीगण के हक व हिस्सा की भूमि को अन्य के नाम से रहन विक्रय अन्य प्रकार से अन्तरित कर प्रार्थीगण को उनके विरास्तन हक व हिस्सा से महरूम एवं बेदखल जबरन कर देगा। बस यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद कारण है।

7- यह कि अप्रार्थी संख्या 1 व 7 के नाम से दर्ज भूमि में प्रार्थीगण का विरास्तन हक व हिस्सा भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण को जन्म से हक प्राप्त है जिसके प्रार्थीगण स्वयं को खातेदार टीनेन्ट घोषित करवाने के अधिकारी है। चूंकि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उनके हक व हिस्सा से महरूम करने के लिए भूमि को खुर्द-बुर्द व अन्तरित करने पर आमदा है। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है।

8- यह कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनो महत्वपूर्ण विन्दू हम प्रार्थीगण के पक्ष में है।

9- यह कि राजस्थान सरकार भू धारक होने के कारण जो आवश्यक पक्षकार है इसलिए जिन्हे बतौर अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 8 ता 11 सह-खातेदार है इसलिए आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

10- यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार में अन्दर मियाद व पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक अप्रार्थीगण को इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण विवादित भूमि वाके चक 13 ए. पी. डी. (बी) का खाता संख्या 10 प.नं. 251/401 मु.नं. 8 के किला नं. 9, 21 ता 25 का 1.518 है. भूमि एवं खाता संख्या 4 प.नं. 251/401 मु.नं. 8 का किला नं. 16 ता 19, 20/1 का 1.075 है. भूमि को किसी अन्य को रहन, बैय, विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने से बाज व ममनू रहे तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार मदाखलत बेजा नहीं करे और मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। कृपा होगी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 द्वारा जरिये वकील उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि चक 13 एपीडी-बी तहसील श्रीविजयनगर के खाता संख्या 10 व 4 में कलावती देवी के नाम से दर्ज भूमि कलावती की स्वयं अर्जित सम्पति है। कलावती के जीवन काल में किसी भी व्यक्ति का उसकी सम्पति पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण की माता जो कि एक चालक किस्म की औरत है तथा प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 01 जगदीश के साथ हमेशा झगड़ा करती है तथा मुझ अप्रार्थी संख्या 1

लगातार ....(4)

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

व अप्रार्थी संख्या 07 पर अनावश्यक दबाव बना, अप्रार्थीगण संख्या 01 व 07 के नाम दर्ज भूमि को हड़पना चाहती है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा अपनी माता को जो कि एक अनावश्यक पक्षकार है, को पक्षकार नही बनाया गया है। इससे यह स्पष्ट साबित हो रहा है कि है कि प्रार्थीगण की माता मन्जू द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 व 07 की कृषि भूमि हड़पने के लिए प्रार्थीगण जो कि नाबालिग है, को नुमाईशी तौर पर प्रार्थी बनाकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो कि काबिल निरस्ती के है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो एवं कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया और वकील उभय पक्ष की बहस सुनी और निष्कर्ष रूप में यह पाया कि विवादित भूमि चक 13 ए.पी.डी. (बी) का खाता संख्या 10 प.नं. 251/401 मु.नं. 8 के किला नं. 9, 21 ता 25 का 1.518 हैक्टर कमाण्ड भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। यदि अप्रार्थी संख्या 01 बेचान कर देता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होगी। इसलिए प्रार्थी को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। पूरे खाते में अस्थाई निषेधाज्ञा होने से अप्रार्थीगण आवश्यक सुविधाएं भी प्राप्त नहीं कर पायेगे। सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 01 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित रकबा चक 13 ए.पी.डी.(बी) का खाता संख्या 10 प.नं. 251/401 मु.नं. 8 के किला नं. 9, 21 ता 25 का 1.518 हैक्टर भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 01 के 217/1518 हिस्सा तक रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 29/08/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाषचन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner